भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-226
उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

समग्र शिक्षा अभियान/अध्यापक प्रशिक्षण/शिक्षा में लिंग समानता

†226. श्री संजय काका पाटील:
डॉ संजीव कुमार शिंगरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्री स्कूल (विद्यालय पूर्व) से कक्षा 12 तक निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) क्या समग्र शिक्षा अभियान में अध्यापक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए संदर्शी शिक्षक गुणवत्ता में सुधार और सेवा के दौरान सुचारू प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) जैसे संस्थानों से सहयोग करने पर विचार किया जा रहा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में लिंग समानता और बालिकाओं में आत्म रक्षा के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को अब पुनः डिजाइन किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को एकसमान और समावेशी कक्षा परिवेश के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों

को लागू करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना; (ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना; (iii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना; (iv) बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर बल देना; (v) छात्रों के बीच 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र पर बल देना; (vi) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना; (vii) स्कूल शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतराल को कम करना; (viii) स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना; (ix) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थानों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन; (x) सुरक्षित, परिरक्षित और अनुकूल अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना एवं स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में मानकों का रखरखाव और (xi) व्यवसायपरक शिक्षा को बढ़ावा देना।

(ख) और (ग): राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) समग्र शिक्षा योजना का एक अभिन्न अंग हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्यों में से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में एससीईआरटी/राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना है। इस योजना के अंतर्गत, एससीईआरटी और डीआईईटी के सुदृढ़ीकरण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है और प्रशिक्षण संरचनाओं के एकीकरण पर बल देने के लिए, एससीईआरटी को राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन और ईसीसीई से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के सभी शिक्षकों के लिए संयुक्त वार्षिक शिक्षक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने/आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

सेवाकालीन शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती योजनाओं का एक अभिन्न अंग रहा है। ये प्रशिक्षण संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एससीईआरटी और डीआईईटी के माध्यम से आयोजित किए गए थे। इन योजनाओं के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में मास्टर प्रशिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार वित्तीय प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती योजनाओं को 2018-19 से प्रभावी एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् समग्र शिक्षा में मिला दिया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना 2019-20 के

तहत स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल - एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम- निष्ठा द्वारा प्राथमिक स्तर पर अधिगम के परिणामों में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। निष्ठा प्रशिक्षण को माध्यमिक स्तर के शिक्षकों और मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक विस्तारित किया गया है।

(घ): स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक और जेंडर अंतराल को कम करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर से संबंधित लड़कियां और बच्चे शामिल हैं। समग्र शिक्षा के तहत, लड़कियों के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को लक्षित किया गया है, जिसमें लड़कियों के लिए पहुंच आसान बनाने के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना, आठवीं कक्षा तक लड़कियों को नि:शुल्क वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें, दूरदराज/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अतिरिक्त शिक्षक और आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, सीडबल्यूएसएन लड़कियों को कक्षा I से कक्षा XII तक वजीफा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों सहित लिंग-संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों आदि का प्रावधान शामिल हैं।

निष्ठा में, अन्य बातों के अलावा, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में महिला-पुरूष आयामों की प्रासंगिकता को शामिल किया गया है, जो शिक्षकों को महिला-पुरूष संवेदनशील कक्षा वातावरण को बढ़ावा देने वाली शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करने और अपनाने में मदद करती है। इसके अलावा, शिक्षकों को परामर्श, पोक्सो अधिनियम के प्रावधान, किशोर न्याय अधिनियम, स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देश, हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर, शिकायतों के लिए ड्रॉप-बॉक्स आदि पर भी ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा VI से XII तक की बालिकाओं को 'रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण' के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, बालिकाओं को हमले के ख़तरे से निपटने के लिए सशक्त बनाया जा सके और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। समग्र शिक्षा के तहत, इस घटक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****